



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062022-236228
CG-DL-E-02062022-236228

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2408]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2022/ज्येष्ठ 11, 1944

No. 2408]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2022/JYAISTHA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 1 जून, 2022

का.आ. 2535(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है सड़क परिवहन और राजमार्ग (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) अधिसूचना संख्या का. आ. 3472 (आ) दिनांक 25 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई थी तत्पश्चात निम्न लिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में जिला होशियारपुर की तहसील होशियारपुर से संबंधित राजपत्र अधिसूचना में क्रमांक 25 पर प्रदर्शित ग्राम के नाम खाकली के विरुद्ध खाखली के रूप में पढ़ा जाए, राजपत्र अधिसूचना में क्रमांक 5 पर प्रदर्शित ग्राम का नाम कोटली झिरी के विरुद्ध कोटला झिड़ी के रूप में पढ़ा जाए, राजपत्र अधिसूचना में क्रमांक 4 पर प्रदर्शित गांव का नाम कोटली गौंसपुर के विरुद्ध कोटला गौंसपुर के रूप में पढ़ा जाए, राजपत्र अधिसूचना में क्रमांक 3 पर प्रदर्शित गांव का नाम अजोवाल के विरुद्ध अज्जोवाल के रूप में पढ़ा जाए और राजपत्र अधिसूचना में क्रमांक 8 पर प्रदर्शित गांव के नाम सतलाल के विरुद्ध सतियाल के रूप में पढ़ा जाए।

[फा. सं. NHA/DP/PIU-JAL/NH-503A/Package-IV/ Corrigendum]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 1st June, 2022

S.O. 2535(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport & Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 3472 (E) dated 25th August, 2021, published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section-3 sub section (ii), namely:—

In the schedule, to the said notification, against relating to District Hoshiarpur, Tehsil Hoshiarpur village appearing at sr no 25 in Gazette Notification, village name Khakli the against to be read as Khakhli, appearing at sr no 5 in Gazette Notification village name Kotli Jhiri the agaisnt to be read as Kotla Jhiri, appearing at sr no 4 in Gazette Notification village name Kotli Gounspur the against to be read as Kotla Gounspur, appearing at sr no 3 in Gazette Notification village name Ajowal the against to be read as Ajjowal & appearing at sr no 8 in Gazette Notification village name Satlal the against to be read as Satial.

[F. No. NHAI/PD/PIU-JAL/NH-503A/Package-IV/Corrigendum]

RAJESH GUPTA, Director